विभिन्न केन्द्रीय कानूनों के तहत नियमों, विनियमों, आदेशों और प्रक्रियाओं तथा आम जनता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मैनुअलों के बारे में अद्यतन सूचना का संकलन करें।

2. ऐसे कानूनों सहित जिनके संबंध में कार्रवाई शुरू की जा चुकी है, लगभग 109 कानूनों की विवेचनात्मक सूची में शीघ्र संशोधन करने पर विचार किया जाए।

3. अंतर्देशीय और विदेशी निवेशकों, व्यापार और उद्योग, उपभोक्ताओं, बिल्डर्स, निर्यातकों और आयातकों की संभावनाओं के संदर्भ में संविधियों, कानूनों और विनियमों के एकीकरण तथा सामंजस्य की भी जरूरत है। इस प्रक्रिया में सरकार को सभी विनियमों, नियमों और आदेशों में प्रयोग की गई भाषा को सरल बनाना चाहिये।

4. (1) आवास और रियल इस्टेट (2) कंपनी कानून (3) बैंकिंग (4) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (5) उद्योग (6) उपभोक्ता मामले (7) स्वास्थ्य (8) पर्यावरण (9) श्रम (10) आयकर (11) उत्पाद एवं सीमा-शुल्क (12) एक्सिम नीति एवं कार्य-विधि संबंधी मसले तथा (13) विद्युत से संबंधित विनियामक ढांचे के बारे में विशिष्ट प्रस्ताव तैयार किये गए हैं। इन सिफारिशों में कार्य-कुशलता की प्रशासनिक अपेक्षाओं, समन्वय और मितव्ययिता के अलावा प्रयोक्ता समूहों की समस्याओं और जरूरतों को आगे रखने का प्रयास किया गया है।

5. इस समय लागू लगभग 2500 कानूनों में से विभिन्न वर्गों के 1300 से ऊपर केन्द्रीय कानूनों को निरस्त करना, जो कि नीचे दिए गए हैं:—

(i) 166 केन्द्रीय अधिनियम (ii) राष्ट्रीयकरण से पहले के अधिनियम और 20 विधि मान्यकरण अधिनियम सहित)

(ii) 315 संशोधन अधिनियम।

(iii) 11 ब्रिटिश संविधिओं जो अभी भी लागू है।

(iv) 17 युद्ध-काल के स्थायी आदेश।

(v) राज्य विषयों से संबंधित 114 केन्द्रीय अधिनियम।

(vi) 700 विनियोग अधिनियम (लगभग) संसद द्वारा पास किये गये।

6. आयोग ने इस आधार पर इनके निरसन की सिफारिश की है कि ये नियम या तो असंगत हो गए हैं अथवा कार्य नहीं कर रहे हैं।

7. समाज के निर्धन और दयनीय सेक्टरों के जीवन को प्रभावित करने वाले कानूनों, विनियमों और प्रक्रियाओं के संपूर्ण क्षेत्र का प्रभावी ढंग से अध्ययन किये जाने की आवश्यकता है।

8. आयोग ने वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली का विस्तार करने तथा विचाचन और समाधान अधिनियम का अधिक प्रभावी उपयोग करने की सिफारिश की है। आयोग ने अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों को "लोक अदालतों" को सौंपने की भी सिफारिश की है।

(ग) और (घ) आयोग की रिपोर्ट की प्रतियां नवम्बर, 1998 में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा सभी राज्यों/संघ-शासित क्षेत्र सरकारों के मुख्य सचिवों को इस अनुरोध के साथ भेज दी गई है कि वे उसमें की गई विभिन्न सिफारिशों की जांच करें और इन्हें कार्यान्वित करने हेतु उपयुक्त कार्य योजना तैयार करें। सरकार ने रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों की अनुवर्ती कार्रवाई पर निगरानी रखने के लिए सचिव (कार्मिक) की अध्यक्षता में एक स्थाई समिति का गठन किया है। समिति की बैठकें नियमित तौर पर होंगी तथा यह सभी संबंधितों द्वारा विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु उपयुक्त योजनाएं तैयार करेगी। चूंकि आयोग की सिफारिशों का संबंध भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ-शासित क्षेत्रों से है, अतः सरकार द्वारा रिपोर्ट को स्वीकार करने से पहले संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ-शासित क्षेत्रों द्वारा विभिन्न सिफारिशों की जांच की जानी होगी।

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS

मालपा प्राकृतिक आपदा

1241. प्रो॰ रामगोपाल यादवः
श्री ईश दत्त यादवः

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले के मालपा तथा अन्य गांवों में भू-स्खलन, बाढ़ व प्राकृतिक-आपदा के कारण जान-माल व पशुधन की हुई क्षति से कोई सबक सीखा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अवैध खनन को रोकथाम हेतु तैयार किए गए/प्रस्तावित कार्यक्रम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Flood Situation in the Country

1242. DR. D. VENKATESHWAR RAO:
KUMARI NIRMALA DESHPANDE:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have reviewed flood and scarcity situation in various States during the current year;

(b) if so, the details of estimated loss of crop, human lives and cattle due to recent floods in the country, State-wise;

(c) the details of financial assistance sought by the States and provided by the Union authorities so far to provide relief to the affected; and

(d) long term measures implemented/ proposed to deal with recurrent floods?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) and (b) The details of sector-wise damage in various States due to cyclone, rains/floods, landslides, drought during 1998-99, as reported by them, are indicated in the statements at Annexures-A and B. [*see* Appendix 185, Annexure No. 34]

(c) The details of financial assistance sought by various States from the National Fund for Calamity Relief in the wake of cyclone, rains/floods, landslides and drought during 1998-99 is indicated below:

(Rs. in crore)

S. No.	State	Assistance sought
1.	Andhra Pradesh	500.00
2.	Arunachal Pradesh	200.23
3.	Assam	1001.98
4.	Bihar	1003.75
5.	Gujarat	810.65
6.	Haryana	757.29
7.	Himachal Pradesh	266.06
8.	Karnataka	1352.13
9.	Kerala	1499.63
10.	Maharashtra	152.26
11.	Orissa	445.59
12.	Punjab	1043.19
13.	Rajasthan	1500.00
14.	Sikkim	141.41
15.	Tripura	30.11
16.	Uttar Pradesh	2254.30
17.	West Bengal	703.99

The entire Central share of Calamity Relief Fund (CRF) for 1998-99 has already been released to Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Haryana, Karnataka, Kerala, Orissa, Sikkim and Uttar Pradesh to speed up the relief work. Three quarterly instalments of Central share of CRF have been released to all the other States mentioned above. The requests for assistance from the NFCR are in various stages of processing.

(d) The Ministry of Water Resources and the concerned State Governments are already implementing schemes for flood control measures like construction of reservoirs and embankments, channel improvement, town protection, river training works.

Loss in Andhra Pradesh due to Floods and Rains

1243. SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Central Team has submitted its report on the damages due to heavy rains and floods in Krishna and other rivers in Andhra Pradesh recently;